

## नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 05/03/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

हाइब्रिड मोड के माध्यम से 05/03/2024 को सुबह 11:00 बजे श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (दिनांक 23/09/2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
  2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
  3. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
  4. श्री जगदीश चंदर, कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
  5. श्री अमित वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
  6. श्री विनय कुमार, प्रतिनिधि, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (v) राजीव कुमार, जे.ई., यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -
- D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**
- (1) **20/02/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**
- 20/02/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 20/02/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- (2) **बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि/अद्यतन और प्रदर्शन की निगरानी।**
- 2.1 यह बताया गया कि मेसर्स बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी ने "(i) सादे सोने के आभूषणों के निर्माण (71131911) (970 किलोग्राम/प्रति वर्ष); (ii) पुराने, पुराने आभूषणों का आयात और ताजा आभूषणों के निर्माण के लिए उन्हें पिघलाना (71131911) (0 किलोग्राम/प्रति वर्ष); (iii) जड़ित सोने के आभूषणों, कीमती अर्ध-कीमती पत्थरों का विनिर्माण (71131915) (100 किलोग्राम/प्रति वर्ष); सादे चांदी के आभूषणों का विनिर्माण (71131141) (400 किलोग्राम/वर्ष); (v) जड़ित चांदी के आभूषणों का विनिर्माण (71131145) (210 किलोग्राम/वर्ष)" के लिए पांच साल के पांचवें ब्लॉक यानी 12/10/2028 तक स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

*सुरेंद्र मलिक*

2.2 आगे बताया गया कि इकाई ने 2020-21 के बाद से कोई निर्यात नहीं किया है और वर्तमान में 14.24 लाख रुपये (वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन में उल्लिखित दिनांक 12.10.2018 के निर्यात से संबंधित) की विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लंबित रखी गई है।

2.3 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुजीत झा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री झा ने बताया कि फिलहाल उनके पास कोई निर्यात ऑर्डर नहीं है और वे निर्यात ऑर्डर के लिए बाजार तलाश रहे हैं। हालाँकि, श्री झा स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए भविष्य की व्यावसायिक योजना के बारे में नहीं बता सके। श्री झा ने यह भी बताया कि वे अपने बैंक के पास लंबित विदेशी मुद्रा को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया में हैं क्योंकि खरीदार राशि का भुगतान नहीं कर रहा है।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को पांच साल के अगले ब्लॉक के लिए एक उचित व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ देखी गई कमियों के संतोषजनक उत्तर के साथ प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि इकाई के वरिष्ठ लोग उस बैठक में उपस्थित नहीं थे जो हाइब्रिड मोड में थी। इसके अलावा इसने इकाई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कंपनी के भागीदार बैठक में भाग लें।

**(3) ज़ेविंटे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।**

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स जेविंटे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने "(i) सॉफ्टवेयर आईटी और आईटीईएस कंसल्टिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज (एसएसी: 998313); (ii) सॉफ्टवेयर डिजाइन, विकास और परिणियोजन (एसएसी: 998314)" के लिए पांच साल के चौथे ब्लॉक यानी 31/08/2028 तक स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

3.2 आगे बताया गया कि पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष	निर्यात		विदेशी मुद्रा व्यय	निवल विदेशी मुद्रा कमाई	तैयार माल की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री	लंबित निवल विदेशी मुद्रा
	भौतिक	नियम 53ए के तहत आपूर्ति				
2018-19 (01.09.18)- 31.03.19)	9434.02	0.00	103.66	9330.36	0.00	0.00
2019-20	15998.65	0.00	110.93	15887.72	0.00	0.00
2020-21	0.00	14546.89	104.77	14442.12	0.00	0.00
2021-22	0.00	17442.21	100.63	17341.58	0.00	0.00
2022-23	0.00	23674.40	113.29	23561.11	0.00	5201.39
<b>कुल</b>	<b>25432.67</b>	<b>55663.50</b>	<b>533.28</b>	<b>80562.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5201.39</b>

एनएसडीएल आंकड़े के अनुसार, इकाई ने 2023-24 (31.01.2024 तक) के दौरान 190.68 करोड़ रुपये का निर्यात (सॉफ्टवेक्स) किया है।

3.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2018-19 (01.09.18-31.03.2019) से 2022-23 तक पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि 31.03.2023 तक 5201.39 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लंबित दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई ने 2020-21 के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 53ए (एच) के तहत अपना निर्यात दिखाया था।

*सुरेंद्र मलिक*

3.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री शर्मा ने बताया कि बकाया 5201.39 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति निर्धारित समय सीमा में हो चुकी है।

3.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 31/08/2028 तक इकाई के स्वीकृति पत्र को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन प्रस्तावित वस्तुओं के सीपीसी कोड और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 53 ए (एच) के तहत उल्लिखित निर्यात पर स्पष्टीकरण के साथ-साथ देखी गई कमियों के सुधार और उत्तर प्रस्तुत करने के अधीन है।

**(4) भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज - (i) मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत एसडीएफ नंबर 1,3,5-8,12, व्यापार ब्लॉक, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण और (ii) प्रदर्शन की निगरानी।**

4.1 यह बताया गया कि मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने और एसडीएफ नंबर 1,3,5-8,12, व्यापार ब्लॉक, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित अपनी संपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था। यह हस्तांतरण मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत था। अनुमोदन समिति द्वारा 06/12/2022 को आयोजित बैठक में स्थानांतरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी, बशर्ते (i) मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा किया जाए; और (ii) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नीति के अनुसार लागू स्थानांतरण शुल्क का भुगतान। इकाई ने निकास उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़/अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किए हैं जिनकी अलग से जांच की जा रही है।

4.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार था:

मूल्य रुपये लाख में					
वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	निवल विदेशी मुद्रा कमाई	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री	लंबित एफई
<b>पहला ब्लॉक (17.02.2013-16.02.2018)</b>					
2013-14	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00
2014-15	270.79	0.00	270.79	0.00	0.00
2015-16	542.80	11.02	531.78	0.00	0.00
2016-17	700.78	1.02	699.76	0.00	0.00
2017-18	684.54	2.98	681.56	0.00	0.00
2018-19 (01.04.18-16.02.19)	620.29	8.81	611.48	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>2900.03</b>	<b>23.83</b>	<b>2876.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>दूसरा ब्लॉक (17.02.2018-अगस्त 23)</b>					
2018-19 (17.02.19-31.03.19)	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00
2019-20	847.22	10.614	836.58	0.00	0.00
2020-21	926.71	0.00	926.71	0.00	0.00
2021-22	1082.85	0.00	1082.85	0.00	0.00
2022-23	1328.47	0.00	1328.47	0.00	0.00
2023-24 (23 अगस्त तक)	605.37	0.00	605.37	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>4913.45</b>	<b>10.64</b>	<b>4902.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

सुरेंद्र मलिक

4.3 अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि किसी भी निर्यात आय को प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाया गया है।

4.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसडीएफ नंबर 1,3,5-8,12, व्यापार ब्लॉक, मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का नियम 74ए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में संपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन (i) मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन है; और (ii) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नीति के अनुसार लागू स्थानांतरण शुल्क का भुगतान। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फ़ाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

#### (5) एम्बार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 यह बताया गया कि मेसर्स एम्बार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को "सॉफ्टवेयर विकास पर्सनल ट्रेकर्स के साथ वाहन ट्रेकिंग इकाई और सहायक उपकरण" के लिए दिनांक 18/04/2007 को एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। इकाई का स्वीकृति पत्र 20/05/2023 तक वैध था। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 17/11/2022 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया था। इकाई ने निकास उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़/अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किए थे जिनकी अलग से जांच की जा रही थी।

5.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार था:

मूल्य रुपये लाख में					
वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	निवल विदेशी मुद्रा कमाई	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री	लंबित एफई
<b>पहला ब्लॉक</b>					
2007-08 (21.11.07-31.03.08)	9.85	7.30	2.55	0.39	0.00
2008-09	193.06	71.06	122.00	3.47	0.00
2009-10	132.36	59.69	72.67	15.35	0.00
2010-11	145.17	70.68	74.49	20.28	0.00
2011-12	221.15	112.68	108.47	46.87	0.00
2012-13 (01.04.12-20.11.12)	174.27	109.37	64.90	19.43	0.00
<b>कुल</b>	<b>875.86</b>	<b>430.78</b>	<b>445.08</b>	<b>105.79</b>	<b>0.00</b>
<b>दूसरा ब्लॉक</b>					
2012-13	60.31	33.51	26.80	4.61	0.00
2013-14	347.86	160.53	187.33	18.80	0.00
2014-15	411.37	163.27	248.10	18.67	0.00
2015-16	759.92	137.77	622.15	4.79	0.00
2016-17	295.58	100.04	198.54	0.00	0.00
2017-18 (01.04.17-20.11.17)	29.52	24.37	5.15	7.04	0.00
<b>कुल</b>	<b>1907.56</b>	<b>619.49</b>	<b>1288.07</b>	<b>53.91</b>	<b>0.00</b>
<b>तीसरा ब्लॉक</b>					

सुरेंद्र मलिक

2017-18 (21.11.17- 31.03.18)	94.52	28.33	66.19	2.13	0.00
2018-19	101.04	33.75	67.29	6.16	0.00
2019-20	163.54	27.27	136.27	1.60	0.00
2020-21	149.25	18.64	130.61	18.30	0.00
2021-22	155.62	23.47	132.15	0.00	0.00
2022-23	117.34	20.15	97.19	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>781.31</b>	<b>151.61</b>	<b>629.70</b>	<b>28.19</b>	<b>0.00</b>

5.3 आगे बताया गया कि इकाई ने प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के अनुसार 187.89 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की थी। विवरण के अनुसार, इकाई ने 36.7 लाख रुपये की सेवाओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की थी और उपरोक्त बिक्री की प्राप्ति की मुद्रा भारतीय रुपये में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) के अनुसार, सेवाओं का अर्थ ऐसी व्यापार योग्य सेवाएँ हैं जो विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं। इसलिए, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) का उल्लंघन था।

5.4 अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि किसी भी निर्यात आय को प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाया गया है।

5.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सेवाओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के खिलाफ भारतीय रुपये में भुगतान की प्राप्ति के मामले में इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई देने का निर्देश दिया। भारतीय रुपये में भुगतान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 2(जेड)(iii) का उल्लंघन था और इसने विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फ़ाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

**(6) मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे मेसर्स जीडीपीएल कहा जाता है) से मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा की गई खरीद से संबंधित मामला।**

6.1 यह बताया गया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने जुलाई 2016 में मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से सोना/चांदी/प्लैटिनम/हीरे की खरीद की थी। चार (4) चालान जिनके माध्यम से माल भेजा गया है कथित तौर पर मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया था:

क्रमांक	चालान	वस्तु का विवरण	राशि (रुपये में)
1	जीडीपीएल/2016/001 दिनांक 21.07.2016	प्लैटिनम (शुद्धता 94%) और प्लैटिनम हेड और क्लिप्स (शुद्धता 94%)	49,59,350/-
2	जीडीपीएल/2016/002 दिनांक 21.07.2016	सोना (24K), सोने का सिर 14K, सोने की क्लिप 14K, हीरे, चांदी, मिश्रित मिश्र धातु, सोना चढ़ाया हुआ 10 k	कुल 12,15,53,644/- (हीरे सहित 9418.92 कैरेट मूल्य 11,92,34,108/-)
3	जीडीपीएल/2016/003 दिनांक 25.07.2016	प्लैटिनम	18,00,000/-
4	जीडीपीएल/2016/004 दिनांक 26.07.2016	प्लैटिनम	18,00,000/-
	<b>कुल</b>		<b>13,01,12,994/-</b>

सुरेंद्र मलिक

6.2 यह भी बताया गया कि उपरोक्त लेनदेन मेसर्स जीडीपीएल द्वारा अनुमोदन समिति द्वारा उसके स्वीकृति पत्र की समाप्ति/रद्द करने के बाद किया गया था। इसके अलावा, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने जुलाई 2016 में मेसर्स जीडीपीएल से प्लैटिनम, चांदी, हीरे के अलावा सामान खरीदा था, जबकि प्लैटिनम/चांदी के आभूषण अधिकृत ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। यह ध्यान रखना उचित होगा कि "चांदी/प्लैटिनम आभूषण सादे और हीरे और रंगीन पत्थरों से जड़ित" का निर्माण 30/09/2016 को जारी स्वीकृति पत्र में शामिल किया गया था।

6.3 मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के पार्टनर श्री मनोज सोनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मामले की विस्तार से जांच करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त